रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

सा.का.नि. 427(अ).— बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारतीय बॉयलर्स विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियम अर्थात, भारतीय बॉयलर्स (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 32(अ), तारीख 16 जनवरी, 2017 द्वारा उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 16 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट संशोधनों के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों और पणधारियों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अत:, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड, बॉयलर अधिनियम, 1923(1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बॉयलर्स विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बॉयलर्स (संशोधन) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र के अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. भारतीय बॉयलर्स विनियम, 1950 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 4ज, उप-विनियम(2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"3. रेमनेन्ट जीवन निर्धारण संगठन (आरएलएऔ), की मान्यता के लिए, मूल्यांकन समिति, इन विनियमों के उपबधों के अनुसरण में, विशिष्टतया निम्नलिखित क्षेत्रों में, आरएलएऔ के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली फर्म या कंपनी का मूल्यांकन करेगी, अर्थात:-

(अ) 120 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर से ऊपर संचालित बॉयलरों के रेमनेन्ट जीवन निर्धारण(आरएलए) के लिए-

(i) बॉयलर परिकल्पना, विनिर्माण करने का ज्ञान और बॉयलरों, सामग्रियों, कूटों तथा मानकों के संचालन और रखरखाव का ज्ञान;

(ii) दबाव भाग घटक जीवन का मूल्यांकन करने के लिए, चूक विश्लेषण, दबाव विश्लेषण में विशेषज्ञता;

(iii) धातुकर्म, गैर नाशक परीक्षण (एनडीटी) और अन्य आरएलए निर्धारण तकनीक में विशेषज्ञता;

(iv) आंतरिक ऑक्साइड सघनता (आईओटी) माप और विश्लेषण सामर्थ्यता;

(v) फर्म या कंपनी निम्नलिखित रखेगी,-

(क) क्षेत्र में विशेषज्ञता और नमूना ट्यूब्स, निक्षेपों के परीक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर या उपकरणों के साथ के परीक्षण और अंशाकंन प्रयोगशालाओ (एनएबीएल), प्रत्यायन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड;

(ख) वाटर वाल (डब्ल्यूडब्ल्यू) निक्षेप के विश्लेषण और बॉयलरों की रसायनिक सफाई के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की क्षमता के साथ विलायक चयन के लिए विशेषज्ञता के साथ प्रयोगशाला;

(ग) अर्हित गैर नाशक परीक्षण(एनडीटी) कार्मिक के साथ गैर नाशक परीक्षण(एनडीटी) प्रयोगशाला;

(घ) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 391क के अनुसार आरएलए परीक्षण कार्यन्वित करने के लिए स्थल कार्य हेतु दक्ष और अनुभवी मानवशक्ति;

(ङ) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 391क में यथा निहित बॉयलरों के आरएलए अध्ययन के लिए अपेक्षित सभी मापक और परीक्षण उपकरण;

(च) निरीक्षण प्राधिकरणों के अधीन आरएलए अध्ययन का न्यूनतम पांच नम्बरों का अनुभव।

(आ) 120 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक संचालित बॉयलरों के रेमनेन्ट जीवन निर्धारण(आरएलए) के लिए-

(i) बॉयलर की परिकल्पना, विनिर्माण का ज्ञान और बायलरों, सामग्रियों, कूटों, तथा मानकों के प्रचालन और रख-रखाव का क्षेत्र ज्ञान;

(ii) दबाव भाग संघटक जीवन को मूल्यांकित करने के लिए विफलता विश्लेषण, दवाब विश्लेषण का ज्ञान;

(iii) धातुकर्म, गैर नाशक परीक्षण(एनडीटी) और अन्य आरएलए निर्धारण तकनीक का ज्ञान;

(iv) आंतरिक ऑक्साइड सघनता(आईओटी) माप और विश्लेषणात्मक सामर्थ्य;

(v) फर्म या कंपनी निम्नलिखित रखेगी,-

(क) क्षेत्र में विशेषज्ञता और नमूना ट्यूब्स, निक्षेपों के परीक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर या उपकरणों के साथ के परीक्षण और अंशाकंन प्रयोगशालाओ(एनएबीएल), प्रत्यायन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड(इसे आऊटसोर्स भी किया जा सकता है);

(ख) वाटर वाल(डब्ल्यूडब्ल्यू) निक्षेप के विश्लेषण और बॉयलरों की रसायनिक सफाई के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की क्षमता के साथ विलायक चयन के लिए विशेषज्ञता के साथ प्रयोगशाला(इसे आऊटसोर्स भी किया जा सकता है);

(ग) अर्हित गैर नाशक परीक्षण(एनडीटी) कार्मिक के साथ गैर नाशक परीक्षण(एनडीटी) प्रयोगशाला;

(घ) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 391क के अनुसार आरएलए परीक्षण कार्यान्वित करने के लिए स्थल कार्य हेतु दक्ष और अनुभवी मानवशक्ति;

(ङ) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 391क में यथा निहित बॉयलरों के आरएलए अध्ययन के लिए अपेक्षित सभी मापक और परीक्षण उपकरण;

(च) निरीक्षण प्राधिकरणों के अधीन आरएलए अध्ययन का न्यूनतम पांच नम्बरों का अनुभव।"

3. मूल विनियमों के, विनियम 4ञ में,-

(अ) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(4) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड प्राधिकार प्रक्रिया:

(i) सक्षम व्यक्ति, हित के विरोध के बिना कार्य करेगा;

(ii) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड प्राधिकार के लिए आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात:-

(क) आवेदक, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निरीक्षण प्राधिकरण का नियमित कर्मचारी हो, और अनन्य रूप से नियोजित हो:

परंतु बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 8 के अधीन उपयोग के दौरान बॉयलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए, आवेदक केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निरीक्षण प्राधिकरण के साथ नियोजन लिए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है;

(ख) आवेदक, इस विनियम के उप-विनियम 2 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करेगा;

(ग) आवेदक, इस विनियम के उप-विनियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड परीक्षा देगा और पास करेगा;

(घ) आवेदक, प्राधिकार के लिए केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद तीन वर्ष से अपश्चात् आवेदन करेगा और व्यक्ति जिसे तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्राधिकार जारी नहीं किया गया है, उससे केंद्रीय बायलर बोर्ड परीक्षा देना और पास श्रेणी प्राप्त करना अपेक्षित होगा; और

(ङ) सक्षम व्यक्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी परंतु ऐसा व्यक्ति चिकित्सक दृष्टतया योग्य हो;

(iii) (क) जब आवेदक उप-विनियम 4 के खंड(ii) में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक के नियोक्ता के अनुरोध पर; केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड प्राधिकार कार्ड और एक प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परंतु बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 8 के अधीन उपयोग के दौरान बॉयलर के केवल निरीक्षण और प्रमाणीकरण का जिम्मा लेने के लिए प्राधिकार कार्ड के लिए अनुरोध , भी आवेदक द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) प्राधिकार के लिए आवेदन, प्ररूपों पर केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड से प्राप्त किये जाएंगे; और

(ग) एक सक्षम व्यक्ति केवल एक विधिमान्य प्राधिकार कार्ड रख सकेगा;

(iv) (क) प्राधिकार प्रमाणपत्र की विधिमान्यता उसे जारी करने की तारीख से तीन वर्ष या नियोजित निरीक्षण प्राधिकारी (जहां कही लागु हो) की मान्यता की विधिमान्य अवधि के सहवासिनी, जो भी पहले हो, होगी;

(ख) विनिर्माण और परिनिर्माण के दौरान बॉयलर्स के निरीक्षण और प्रमाणन का जिम्मा लेने के लिए; सक्षम व्यक्ति केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त निरीक्षण प्राधिकरण के नियमित नियोजन में होना चाहिए जिसके न हो सकने पर प्राधिकार समाप्त हो जाएगा;

(ग) जहां सक्षम व्यक्ति नियोजन को छोड़ता है; तो निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा ऐसे नियोजन छोड़ने की तारीख से सात दिवसों की अवधि के भीतर, सचिव, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड को केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड प्राधिकार कार्ड अभ्यर्पित किया जाएगा;

(घ) नवीकरण के लिए अनुरोध सक्षम व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा किया जाएगा और अनुरोध यह प्रमाणित करेगा कि सक्षम व्यक्ति ने निरीक्षण क्रियाकलाप के पालन और पर्यवेक्षण द्वारा निरीक्षण प्रवीणता को बनाये रखा है और यह कि व्यष्टि ने इस उप-विनियम के खंड(च) में यथा अधिकथित अपेक्षाओं का नियमित अद्यतनीकरण किया है;

परतु प्राधिकार के नवीकरण के अनुरोध, बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 8 के अधीन उपयोग के दौरान बॉयलर के केवल निरीक्षण और प्रमाणीकरण का जिम्मा लेने के लिए भी, पिछले तीन वर्ष के दौरान किये गए निरीक्षण के ब्यौरे देते हुए और यह पुष्टि करते हुए कि उसने इस उप-विनियम के खंड (च) में दी गई अपेक्षाओं का नियमित अद्यतनीकरण किया है, सक्षम व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकेगा;

(ङ) नियोजन के परिवर्तन पर, प्राधिकार कार्ड के लिए अनुरोध, सक्षम व्यक्ति के वर्तमान नियोक्ता द्वारा केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड से प्ररूप पर प्राप्त करने के लिए किया जाएगा;

(च) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति, कम से कम तीन वर्ष में एक बार, या तो केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड सेमीनार में उपस्थित होगा या निरीक्षण संबंधी अन्य अनुदेश प्राप्त करेगा और अनुदेश, किसी भी रूपविधान में हो सकेंगे, उदाहरणार्थ, कक्षा, गृह अध्ययन, या वेब-आधारित; विषयों में निरीक्षण प्रक्रिया से सुसंगत कोई भी विषय सम्मलित हो सकेगा, जैसे कि नयी पद्धति, उत्पाद, सामग्री, प्रोद्योगिकी या कूटों के संनिर्माण अथवा मरम्मत में परिवर्तन;

(छ) व्यक्ति जिसका प्राधिकार पांच वर्ष या उससे कम के लिए नवीकृत नहीं किया गया है, उचित आवेदन पर, प्राधिकार पुन:बहाल किया जाएगा;

(ज) नियोक्ता या सक्षम व्यक्ति, यदि स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, जैसा भी मामला हो, खंड(च) में यथा उल्लिखित नियमित अद्यतनीकरण का सत्यापन प्रदान करेगा; और

(झ) व्यक्ति, जिसका प्राधिकार पांच वर्ष से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया गया है, से केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड परीक्षा देना और उत्तीर्ण श्रेणी प्राप्त करना अपेक्षित होगा;

(v) (क) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड प्राधिकार, सचिव, केंद्रीय बायलर्स बोर्ड द्वारा किसी आवेदन में अंतर्विष्ट किसी कथन में मिथ्याकरण के लिए प्रतिसंहृत किया जा सकेगा तथापि व्यक्ति सचिव, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा पुन:विचार के लिए अनुरोध कर सकेगा;

(ख) जब मूल्यांकन प्रकट करता है कि केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों में उपेक्षा की है या अपने कर्तव्यों के दस्तावेजीकरण के लिए उपयोग किए गए प्ररूपों में मिथ्या कथन किए है, इस प्रयोजन के लिए गठित केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड समिति मूल्यांकन का परीक्षण कर सकेगी और सचिव, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड को ऐसे सक्षम व्यक्ति के विरूध उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी। सचिव, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड अंतिम विनिश्चय करेगा;

(ग) यदि कोई व्यक्ति सचिव, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे विनिश्चय के विरूध केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड को, विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा;

(घ) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड का विनिश्चय बाध्यकारी होगा; और

(ङ) कोई व्यक्ति जो,-

(i) इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त किन्ही शक्तियों के प्रयोग में सक्षम व्यक्ति द्वारा किये गए या किये जाने के लिए तात्पर्यित आदेश; या

(ii) सक्षम व्यक्ति का कोई आदेश करने या कोई प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार जो इस अधिनियम के अधीन करना या जारी करना वह अपेक्षित करता है या उसके लिए समर्थ है; से व्यथित है,

ऐसे आदेश या इंकार की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश या इंकार के विरूध राज्य, जिसमें ऐसा बॉयलर अवस्थित है के मुख्य बॉयलर्स निरीक्षक को अपील कर सकेगा;

(vi) ऐसे प्रत्येक प्राधिकार जारी करने, नवीकरण या पुन:स्थापन के लिए केंद्रीय बायलर्स बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा नियत फीस संदत्त की जाएगी।";

(आ) उप-विनियम(6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(6) सक्षम व्यक्ति की डायरी:

(i) सक्षम व्यक्ति निम्नलिखित के लिए डायरी का रख-रखाव करेगा-

(क) संनिर्माण क्रियाकलापों के निरीक्षण के लिए; और

(ख) सेवागत निरीक्षण जिसके अंर्तगत केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा अधिकथित रूपविधान के अनुसार प्रत्येक अवस्थिति या स्थल के लिए मरम्मत और प्रत्यावर्तन भी है;या

(ii) डायरी जिल्द तथा संख्यांकित होगी और डायरी का प्रयोजन सक्षम व्यक्ति के क्रियाकलापों का अभिलेख प्रदान करना तथा निरीक्षण की सत्तता का समर्थन करना होगा;

(iii) सक्षम व्यक्ति की डायरी, जहां कही लागु हो, नियोक्ता निरीक्षण प्राधिकारी की संपत्ति होगी और निरीक्षण के लिए अवस्थिति तथा स्थल पर उपलब्ध रहनी चाहिए; और

(iv) डायरी अंतिम प्रविष्टि की तारीख से न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए रखी जाएगी और यह ऑन लाईन प्रविष्टियों के लिए उपबंध के साथ डिजिटाईज्ड प्ररूप में भी रखी जाएगी।";

(इ) उप-विनियम (7)क, के खंड(i) और खंड(ii) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(i) बॉयलर के उपयोग के लिए प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम व्यक्ति ऐसी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर, किसी तारीख को, स्वामी को अग्रिम में सूचना देकर निरीक्षण करेगा;

(ii) सेवागत बॉयलरों के लिए निरीक्षण किताब का ज्ञापन निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से या वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तो सीधे संबंद्ध बॉयलर निरीक्षणालय से प्राप्त किया जायेगा जिसे अंतिम निरीक्षण के पूर्ण होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।";

(ई) उप-विनियम (7)ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"**ख. निरीक्षण शुल्क:-** सक्षम व्यक्ति या निरीक्षण प्राधिकारी इस शर्त के अध्ययधीन रहते हुए कि शुल्क संबंध राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क से अन्यून नहीं होगा, निरीक्षण के लिए फीस प्रभारित कर सकेगा।";

(उ) उप-विनियम (8) के, खंड (1) के, उप-खंड(ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) यदि, निरीक्षण भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के अनुसार नहीं किया जाता है, तो मुख्य बायलर निरीक्षक सक्षम व्यक्ति के विरूद्ध समुचित कार्रवाई जिसके अंतर्गत प्राधिकार का रद्द किया जाना भी है के लिए मामले की सचिव, केंद्रीय बायलर्स बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।";

4. मूल विनियमों में, विनियम 98 में, खंड (क) में, अंक और शब्द "6 मास" के स्थान पर "12 मास" अंक और शब्द रखे जाएगे।

5. मूल विनियमों में, विनियम 388 में, उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा।

6. मूल विनियमों में, विनियम 390 में, खंड (ग) में और विनियम 391 में क्रमशः, शब्द "निरीक्षक" जहां कही आया हो, के स्थान पर "सक्षम व्यक्ति" शब्द रखें जाएगें।

7. मूल विनियमों में, विनियम 392 में, उप-विनियम (3) के, खंड (v) के, उप-खंड (ख) में, शब्दों "पंद्रह दिवस" के स्थान पर "दो दिवस" शब्द रखे जाएगे।

8. मूल विनियमों में, प्ररूप VI में, शर्त संख्या(4) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(5) प्ररूप VI, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा(5) के उपबंधों के अनूसार, केवल रजिस्ट्रीकरण के समय मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षिरत किया जाएगा।"

9. मूल विनियमों में, परिशिष्ट ठ, के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परिशिष्ट ड

विभिन्न क्रियाकलापों के लिए समय सीमा

क्र. सं.	क्रियाकलाप	आईबीआर में विनियम/ उपबंध	समय-सीमा	प्राधिकारी/व्यक्ति
1.	संतोषप्रद रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्ररूप 12 में वेल्डर अर्हता प्रमाणपत्र जारी करना	614	5 दिन	सक्षम प्राधिकारी
2.	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिए परिकल्पना और विनिर्माण रेखाचित्र का अनुमोदन	393(क)	(i) 20 टीपीएच क्षमता तक के बॉयलर संघटकों और बॉयलरों के लिए 5 दिवस। (ii) 20 टीपीएच से अधिक और 100 तक टीपीएच क्षमता के बॉयलरों के लिए 15 दिवस। (iii) 100 टीपीएच क्षमता से अधिक के बॉयलरों के लिए 21 दिन	निरीक्षण प्राधिकारी
3.	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिए सामग्रियों का अनुमोदन	393(ख)	(i) समान परिकल्पना दबाव और तापमान के लिए पूर्व अनुमोदित के समान सामग्री की दशा में 5 दिवस (ii) अन्य दशाओं में 10 दिवस	तकनीकी सलाहकार (बॉयलर्स)
4.	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिए परिकल्पना और विनिर्माण रेखाचित्र का अनुमोदन	393(ख)	21 दिवस	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर्स

5.	सन्निर्माण/विनिर्माण के दौरान निरीक्षण	परिशिष्ट-ञ	2 दिवस	निरीक्षण प्राधिकारी/ सक्षम व्यक्ति
6.	विनिर्माण और परीक्षण के लिए प्रमाणपत्र का जारी किया जाना	4(ग)(1)	(i) बॉयलर संघटकों के लिए 3 दिवस। (ii) बॉयलर के लिए 7 दिवस	निरीक्षण प्राधिकारी
7.	परिनिर्माण के दौरान "प्ररूप 2ग" में निरीक्षण प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी किया जाना	4(ग)(1)	2 दिवस	निरीक्षण प्राधिकारी
8.	रजिस्ट्रीकरण निरीक्षण के पश्चात् प्ररूप-5 में अनंतिम आदेश जारी किया जाना	381(ङ)	48 घंटे	निरीक्षक
9.	बॉयलर्स के लिए रजिस्ट्रीकरण संख्या नियत करना	386(घ)	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर्स
10.	बॉयलर का भाप परीक्षण	380(क)	30 दिवस	निरीक्षक
11.	बॉयलर के उपयोग के लिए प्ररूप-6 में प्रमाणपत्र जारी करना	389	48 घंटे	सक्षम व्यक्ति
12.	बॉयलरों की मरम्मत/प्रत्यावर्तन करने के लिए अनुज्ञा	392(iv) (ख)	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर्स
13.	जीर्णोद्धारक बायलरों और भाप पाइपों की मान्यता	392(5)	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर्स
14.	निरीक्षण पुस्तक और रजिस्ट्रीकरण पुस्तक के ज्ञापन का स्थानान्तरण	388	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर्स
15.	रेमनेन्ट जीवन निर्धारण रिपोर्ट/सिफारिशों का प्रस्तुत किया जाना	391क	निरीक्षण/परीक्षण पूर्ण होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर	सुप्रसिद्ध रेमनेन्ट जीवन निर्धारण संगठन

टिप्पण: (1) उपरोक्त समय-सीमा पूर्ण ब्यौरे/दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से लागु होगी।

(2) किसी क्रियाकलाप के लिए विहित समय-सीमा के समाप्त होने के पश्चात्, उस क्रियाकलाप के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया माना जाएगा।"।

[फा. सं. 6(4)/2016-बायलर्स]

टी. एस. जी. नारायणन सचिव, केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 600, तारीख 15 सितम्बर, 1950 को प्रकाशित किये गए थे और सा.का.नि. 664(अ), तारीख 26 अगस्त, 2015 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(CENTRAL BOILERS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

G.S.R. 427(E).—Whereas certain draft regulations namely, the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2017 further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published as required under sub-section (1) of section 31 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) vide notification number G.S.R. 32(E), dated the 16th January, 2017 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 16th January, 2017;

And whereas, objections and suggestions received from various persons and stakeholders within the specified period in respect of the amendments contained in the said notification have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely:--

1. Short title and commencement.–(1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 4H, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(3) For recognition as Remnant Life Assessment Organization (RLAO), the Evaluation Committee shall evaluate the performance of a firm or company applying for recognition as RLAO in accordance with the provisions of these regulations, in particular in the following areas, namely:-

(A) For undertaking Remnant Life Assessment (RLA) of boilers operating above 120 Kg/Cm^2 pressure—

(i) knowledge on boiler design, manufacturing and field knowledge on operation and maintenance of boilers, materials, codes and standards;

(ii) expertise in failure analysis, stress analysis to evaluate pressure part component life;

(iii) expertise on metallurgy, Non Destructive Testing (NDT) and other RLA assessment techniques;

(iv) Internal Oxide Thickness(IOT) measurement and analytical capabilities;

(v) firm or company shall have,—

(a) National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory with experts in the field and necessary equipment or instruments for testing of sample tubes, deposits;

(b) Laboratory with experts for analysis of Water Wall (WW) deposits and solvent selection with a capability to issue guidelines for chemical cleaning of boilers;

(c) Non Destructive Testing (NDT) laboratory with qualified Non Destructive Testing(NDT) personnel;

(d) skilled and experienced manpower for site work to carry out RLA tests as per regulation 391A of the Indian Boiler Regulations, 1950;

(e) all measuring and testing instruments required for RLA study of boilers as stipulated in regulation 391A of the Indian Boiler Regulations, 1950; and

(f) an experience of minimum of five numbers of RLA studies under Inspecting Authorities.

(B) For undertaking Remnant Life Assessment (RLA) of boilers operating upto 120 Kg/Cm^2 pressure—

(i) knowledge on boiler design, manufacturing and field knowledge on operation and maintenance of boilers, materials, codes and standards;

(ii) knowledge in failure analysis, stress analysis to evaluate pressure part component life;

(iii) knowledge on metallurgy, Non Destructive Testing(NDT) and other RLA assessment techniques;

(iv) Internal Oxide Thickness (IOT) measurement and analytical capabilities;

(v) firm or company shall have—

(a) National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory with experts in the field and necessary equipment or instruments for testing of sample tubes, deposits (It may also be outsourced);

(b) Laboratory with experts for analysis of water wall (WW) deposits and solvent selection with a capability to issue guidelines for chemical cleaning of boilers (It may also be outsourced);

(c) Non Destructive Testing (NDT) laboratory with qualified NDT personnel;

(d) skilled and experienced manpower for site work to carry out RLA tests as per regulation 391 A of the Indian Boiler Regulations, 1950;

(e) all measuring and testing instruments required for RLA study of boilers as stipulated in regulation 391A of the Indian Boiler Regulations, 1950; and

(f) experience of minimum of five numbers of RLA studies under Inspecting Authorities.".

3. In the principal regulations, in regulation 4J, —

(A) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) Central Boilers Board Authorisation Process:

(i) the Competent Person shall perform the work without conflict of interest;

(ii) an applicant for a Central Boiler Board Authorisation shall meet the following requirements, namely:-

(a) the applicant shall be in regular employment of, and exclusively engaged by a Central Boilers Board recognised Inspecting Authority:

Provided that for inspection and certification of boilers during use under section 8 of the Boilers Act, 1923, applicant can work independently also without taking employment with the Central Boilers Board recognised Inspecting Authority ;

(b) the applicant shall meet the minimum qualification and experience requirements as referred in sub-regulation 2 of this regulation;

(c) the applicant shall have taken and passed the Central Boilers Board examination as referred to in sub-regulation 3 of this regulation;

(d) the applicant shall apply for an authorisation not later than three years after passing the Central Boilers Board Examination and a person whose authorisation has not been issued within the three year period shall be required to take the Central Boiler Board Examination and receive a passing grade; and

(e) the maximum age for the Competent Person shall be sixty-five years provided the person is medically fit;

(iii) (a) when the applicant has met the eligibility requirements as referred to in clause (ii) of sub-regulation 4 and at the request of the applicant's employer; a Central Boilers Board authorisation card and a certificate shall be issued:

Provided that the request for authorisation card, only for undertaking inspection and certification of boilers during use under section 8 of the Boilers Act, 1923, can also be made by the applicant;

(b) the application for an authorisation shall be on forms obtained from the Central Boilers Board; and

(c) a Competent Person may possess only one valid authorisation card;

(iv) (a) the validity of an authorisation certificate shall be three years from the date of issue or in co-terminus with the validity period of recognition of employing Inspecting Authority (wherever applicable), whichever is earlier;

(b) for undertaking inspection and certification of boilers during manufacture and erection, the Competent Person must be in regular employment of the Central Boiler Board recognised Inspecting Authority failing which the authorisation lapses;

(c) where the Competent Person leaves the employment, Central Boilers Board Authorisation Card shall be surrendered by the Inspecting Authority to the Secretary, Central Boilers Board within a period of seven days from the date of such leave;

(d) the request for renewal shall be made by Competent Person's employer and the request shall certify that the Competent Person maintained inspection proficiency by performing or supervising inspection activity and that the individual has met the continuing updation requirement as laid down in clause (f) of this sub-regulation:

Provided that request for renewal of authorisation, only for undertaking inspection and certification of boilers during use under section 8 of the Boilers Act, 1923, can also be made by the Competent Person, giving details of inspections undertaken in the last three years and confirming that he has met the continuing updation requirement as given in clause (f) of this sub-regulation;

(e) on change of employment, a request for authorisation card shall be made by the Competent Person's current employer on forms obtained from the Central Boilers Board;

(f) each Central Boilers Board authorised Competent Person, at least once every three years, shall either attend a Central Boilers Board seminar or receive other instruction related to inspections and the instruction may be in any format, e.g., classroom, home study, or web-based; the topics may include any subject of relevance to the inspection process, such as new methods, products, materials, technology or changes to construction or repair codes;

(g) a person whose authorisation has not been renewed for five years or less may, on proper application, have the authorisation reinstated;

(h) the employer or Competent Person, if working independently, as the case may be , shall provide verification of continuing updation as mentioned in clause (f) ; and

(i) a person whose authorisation has not been renewed for more than five years shall be required to take the Central Boilers Board Examination and receive a passing grade;

(v) (a) a Central Boilers Board authorisation may be revoked by the Secretary, Central Boilers Board for falsification of any statement contained in any application however the person may request reconsideration by the Secretary, Central Boilers Board;

(b) when an evaluation reveals that a Central Boilers Board authorised Competent Person has been negligent in his duty or has made false statements on forms used for documentation of his duties, a Central Boilers Board Committee formed for the purpose may examine the evaluation and recommend to the Secretary, Central Boilers Board, a suitable action against such Competent Person. The Secretary, Central Boilers Board shall take the final decision;

(c) if any person is aggrieved by a decision of the Secretary, Central Boilers Board, he may prefer an appeal against such decision within thirty days from the date of the decision, to the Central Boilers Board;

(d) the decision of the Central Boilers Board shall be binding; and

(e) any person aggrieved by,-

(i) an order made or purporated to be made by a Competent Person in the exercise of any power conferred by or under the Act; or

(ii) a refusal of a Competent Person to make any order or to issue any certificate which he is required or enabled by or under the Act to make or issue;

May, within thirty days from the date on which such order or refusal is communicated to him, prefer an appeal against the such order or refusal, to the Chief Inspector of Boilers of the State in which the boiler is located;

(vi) fee fixed by the Central Boiler Board Examination Standing Committee shall be paid for each authorisation issued, renewed or reinstated.";

(B) for sub-regulation (6) , the following shall be substituted, namely:-

"(6) Competent Person's Diary:

(i) A Competent Person's Diary shall be maintained for —

(a) inspection of construction activities; and

(b) in-service inspection including repairs and alterations for each location or site as per the format laid down by the Central Boilers Board;

(ii) the diary shall be bound and numbered and the purpose of the diary shall be to provide a record of the Competent Person's activity and to support the continuity of inspections;

(iii) the Competent Person's diary shall be the property of the employer Inspecting Authority, wherever applicable, and must be available at the location or site of the inspection; and

(iv) the diary shall be maintained for a minimum of five years from the date of last entry and it may also be maintained in digitised form with provision for online entries.";

(C) In sub-regulation (7)A, for clause (i) and clause (ii) respectively, the following shall be substituted, namely:-

"(i) On receipt of an application for renewal of certificate for use of a boiler, the Competent Person shall, within fifteen days from the date of such receipt inspect the boiler on a date communicated to the owner in advance;

(ii) Memorandum of Inspection Book shall be obtained from the concerned boiler inspectorate through the inspecting Authority or directly if working independently, for in-service boilers which shall be returned within a period of one week from the date of completion of final inspection ;" ;

(D) for sub-regulation (7)B, the following shall be substituted, namely:-

"**B. Inspection Fee:**- Competent Person or Inspecting Authority may charge fee for the inspection subject to the condition that the fee shall not be less than the fee specified by the concerned State.";

(E) In sub-regulation (8), in clause (1), after sub-clause (c), the following sub- clause shall be inserted, namely:-

" (d) In case, inspection is not carried out as per the Indian Boiler Regulations, 1950, the Chief Inspector of Boilers shall report the matter to Secretary, Central Boilers Board for appropriate action against the Competent Person which may include cancellation of his authorisation.".

4. In the principal regulations, in regulation 98, in clause (a), for the figure and word "6 months", figure and word " 12 months" shall be substituted.".

5. In the principal regulations, in regulation 388, the sub-regulation (2) shall be omitted.

6. In the principal regulations, in regulation 390, in clause (c) and in regulation 391 respectively, for the word " Inspector" wherever it occurs, the words "Competent Person" shall be substituted.".

7. In the principal regulations, in regulation 392, in sub-regulation (3), in clause (v) , in sub-clause (b) , for the words " fifteen days ", the words " two days" shall be substituted.".

8. In the principal regulations, in Form VI, after condition number (4), the following condition shall be inserted, namely:-

"(5) Form VI shall be countersigned by the Chief Inspector at the time of registration only, as per the provisions of sub-section (5) of section 7 of the Act.".

9. In the principal regulations, after APPENDIX L, the following APPENDIX shall be inserted, namely:-

"APPENDIX M

Time limits for the various activities

Sl. No.	Activity	Regulation/ Provision in IBR	Time limit	Authority /Person
1	Issue of Welder qualification certificate in Form XII after submission of satisfactory reports	614	5 days	Competent Authority
2.	Approval of design and manufacturing drawings for boilers and boiler components made in India	393(a)	(i) 5 days for boilers components & boilers upto 20 TPH capacity. (ii) 15 days for boilers above 20 TPH & upto 100 TPH capacity (iii) 21 days for boilers above 100 TPH capacity	Inspecting Authority

3.	Approval of materials for boilers and boiler components made outside India	393(b)	(i) 5 days, in case of same materials as previously approved for the same design pressure & temperature (ii) 10 days, in other cases	Technical Adviser(Boilers)
4.	Approval of design and manufacturing drawings for boilers and boiler components made outside India	393(b)	21 days	Chief Inspector of Boilers
5	Inspection during construction/ manufacture	Appendix-J	2 days	Inspecting Authority/ Competent Person
6.	Issue of Certificate for manufacture and test	4(c)(1)	(i) 3 days for boiler components. (ii) 7 days for boiler	Inspecting Authority
7.	Issue of Inspecting Authority Certificate during erection in "Form IIC"	4(c)(1)	2 days	Inspecting Authority
8.	Issue of provisional order in Form-V after registration inspection	381(e)	48 Hours	Inspector
9.	Assigning of Registration No. for boilers	386(d)	30 days	Chief Inspector of Boilers
10.	Steam Tests of boiler	380(a)	30 days	Inspector
11.	Issue of Certificate for use of boiler in Form-VI	389	48 Hours	Competent Person
12.	Permission to carry out repairs/alterations in boilers	392(iv)(b)	2 days	Chief Inspector of Boilers
13.	Recognition of repairers boilers & steam pipes	392(5)	30 days	Chief Inspector of Boilers
14.	Transfer of Memorandum of Inspection Book & Registration Book	388	15 days	Chief Inspector of Boilers
15.	Submission of Remnant Life Assessment report/ recommendations	391A	30 days from date of completion of inspection/ tests	Well Known Remnant Life Assessment Organisation

Note : (1) Above time limits shall be applicable from the date of submission of complete details/documents.

(2) After expiry of prescribed time limits for an activity, approval for that activity shall be deemed to have been granted.".

[F. No. 6(4)/2016-Boilers]

T. S. G. NARAYANNEN, Secy. Central Boilers Board

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and last amended *vide* G.S.R. 664(E), dated the 26th August, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.04 12:55:38 +05'30'